

30/11/22

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र के
संबंधित मूल कपील फंसे हो
चुकी है। अब इस प्रार्थना पत्र में
कोई कायविही किया जाना अपेक्षित
नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज
किया जाता है। पत्रावली फेफेड ३१।
दोउर नम्बर से कम होकर दालिज
दफ्तर हो।

[Signature]

अभिभाषक संघ, सीकर

